# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

दायर दिनांक– 30.09.2020
फैसल दिनांक– 08-10-2020

प्रकरण सख्या 52 / 2020
(2020 / 00078)

अनवान

श्री खुशपाल पिता कान्तिलाल जैन बनाम भूमिधारी जरिये तहसील सागवाडा।
निवासी उपला चौक डबगरवाडा
सागवाडा। तहसील सागवाडा।

वाद अन्तर्गत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत

## निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी खुशपाल पिता कान्तिलाल जैन निवासी उपला चौक डबगरवाडा सागवाडा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा नन्दोड के खसरा नम्बर 501 रकबा 0.06 बीधा (0.0485 हैक्टर) भूमि खातेदार केशु पिता वालिया चमार निवासी नन्दोड के नाम दर्ज थी। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के आदेश क्रमांक राजस्व / भू.अ. / 1775–78 दिनांक 06.10.2005 द्वारा खसरा नम्बर 501 रकबा 0.06 बीधा(0.0485हैक्टर) भूमि आबादी में संपरिवर्तन की गई ।

उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1080 दिनांक 17.10.2005 को संपरिवर्तन का नामान्तरकरण खोला गया जिसमे नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में खातेदार केशु पिता वालिया चमार के स्थान पर बिलानाम सनदधारी आबादी दर्ज हो गया जो आदिनांक तक चल रहा है। प्रार्थी ने इसमें संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय सम्परिवर्तन आदेश की प्रति, सम्वत 2070–2073 की जमाबंदी तथा खसरा गिरदावरी के प्रस्तुत किया है।

प्राथी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की प्रकृति का होने से राजस्व वाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

भूमिधारी / पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के क्रम मे सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र, भूमिधारी तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं भूमिधारी तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार संवत 2070–2073 के खाता सं 01 खसरा नम्बर 501 रकबा 0.06 बीधा

.0485 हैक्टर) अनुसार खातेदार केशु पिता वालिया चमार के स्थान पर बिलानाम सनदधारी आबादी दर्ज हो गया जो आंदिनाक चल रहा है।

उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1080 से संपरिवर्तन का नामान्तरकरण खोला गया जिसमें सहवन सें कॉलम संख्या 9 में प्रार्थी के नाम केशु पिता वालिया चमार के स्थान पर बिलानाम सनदधरी आबादी होने की पुष्टि होती है।

केशु पिता वालिया चमार निवासी नन्दोड द्वारा खसरा नम्बर 501 रकबा 0.06 बीधा (0.0485 हैक्टर) आबादी भूमि जरिये पंजिक्रत दस्तावेज संख्या 20005001836 दिनांक 19.10.2005 के द्वारा रूपेंग पिता पेमजी पाटीदार निवासी नन्दोड को बेचान किया गया भूमि आबादी होने से नामान्तरकरण नही खोला जाने से जमाबन्दी में किस्म सनदधारी आबादी ही यथावत दर्ज है। तत्पश्चात रूपेंग पिता पेमजी की मृत्यु होने पर वारिसान मगनलाल, शान्तिलाल, जगदीश, पिता स्व0 श्री रूपेंग, श्रीमती मीर पत्नि स्व. श्री रूपेग पटेल जाति पाटीदार निवांसी नन्दोड द्वारा जरिये पंजिक्रत दस्तावेज संख्या 201/01404005282 दिनांक 01.10.2017 के द्वारा खसरा नम्बर 501 रकबा 0.06 बीधा (0.0485 हैक्टर) आबादी भूमि श्री खुशपाल पुत्र श्री कान्तिलाल जैन निवासी उपला चौक डबगरवाडा सागवाडा को विक्रय की गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा नन्दोड के खसरा नम्बर 501 रकबा 0.06बीधा (0.0485हैक्टर) सनदधारी आबादी किस्म आवासीय आबादी से संशोधीत कर प्रार्थी खुशपाल पिता कान्तिलाल जैन निवासी उपला चौक डबगरवाडा सागवाडा साकिन देह खातेदार दर्ज किया जावे।

निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार सागवाडा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा